लक्ष्मण सिंह
(ग्राम प्रधान)

!! सत्यमेव ज्यते !!

मो0 नं0 9719397771
9813048464

ग्राम पंचायत नंगला आलमपुर
ब्लॉक ऊँचागाँव, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर

पत्रांक 033/012

दिनांक 08.07.2021

प्रमाणित किया जाता है कि कल्याण सिंह कॉलिज ऑफ लॉ, ग्राम-पो0 खानपुर, ब्लाक ऊँचागांव, तहसील स्याना, जनपद बुलन्दशहर, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। ~~इनके~~ भूमि रकबा ही गाटा संख्या 681 में स्थित है।

प्रधान ग्राम पंचायत नंगला आलमपुर
दिनांक 08.07.2021
लक्ष्मण (प्रधान)
वि0ख0 ऊँचागांव (बु0शहर)

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 12090520230950

ग्राम क्रमांक : 120905 ग्राम का नाम (परगना) : [illegible] (अहार) तहसील : स्याना जनपद : बुलन्द शहर फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1
(1) खाता संख्या : 00714

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
[illegible]	(2) [illegible]	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / बोध का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
[illegible]	[illegible]			681(1209050681000012)	0.2330			6.30

दर्ज किया गया

[illegible]	[illegible]	[illegible]	(13) [illegible] (हे.)	(14) [illegible] का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

रकवा 0.8070हे0 कुल दो किता रकवा 0.8070हे0 प्रार्थी का अपना निजी नम्बर है। जिसमे तहसीलदार की आख्या दिनांक 24.12.2016 के अनुसार मौके पर स्कूल का निमार्ण कार्य चल रहा है जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा भी उसके फोटोग्राफ दाखिल किये गये है। तहसील रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मे कृषि कार्य नही हो रहा है स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। अकृषिक भूमि घोषित किये जाने मे कोई सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के सर्किल रेट 6456000/- रूपये का एक प्रतिशत 64560/- रूपये राजकीय कोष मे चालान सं0 6 दिनांक 27.12.2016 के द्वारा जमा किये जा चुके है। चालान की प्रति पत्रावली पर संलग्न है। अतः तहसील आख्या दिनांक 24.12.2016 एवं फोटोग्राफ के आधार पर उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक अड़चन प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः ग्राम खानपुर गन्दू परगना अहार तहसील स्याना जिला बुलन्दशहर के खतौनी वर्ष 1418–1423फ0 के खाता सं0 283 गाटा सं0 681 रकवा 0.2330हे0, गाटा स0 682 रकवा 0.5740हे0 कुल दो किता रकवा 0.8070हे0 लगानी 21.95 रूपये को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक स्याना को निशुल्क भेजी जाय। तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 28.12.2016

उपजिलाधिकारी,
स्याना।

सत्य प्रति लिपि
उप जिलाधिकारी
स्याना
31/12/16

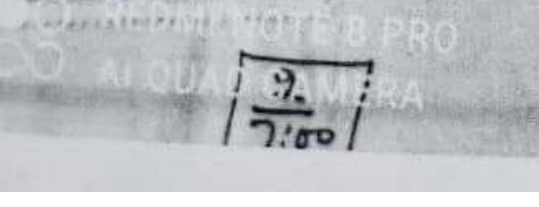

खण्डित

खण्डित

प्रार्थी का नाम श्री जितेन्द्र भारद्वाज एड
प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र नं. 56
प्रार्थना पत्र
प्रतिलिपि दिनांक 30/12/16
नोटिस 31/12/16
शब्द 31/12/16
प्रतिलिपि 800
प्रतिलिपि 7.00
मिलान
नकल जारी करने के हस्ताक्षर
छाया प्रति

7.00

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता / 6215
दिनांक :– 04.11.2022

में,
सचिव, प्रबन्ध समिति,
कल्याण सिंह कॉलिज ऑफ लॉ,
खानपुर जनपद बुलन्दशहर,
उत्तर प्रदेश।

विषय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 10.10.2022 संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान की प्रबन्ध समिति चुनाव दिनांक 11.09.2022 का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.09.2022 को विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक मनुज कुमार, आचार्य, भौतिक विभाग, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की उपस्थिति में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के चुनाव को चुनाव पर्यवेक्षक की आख्या के आधार पर प्रबन्ध समिति निम्नवत् है–

क्र.सं.	नाम	पद
01.	श्री दिनेश राजपूत	अध्यक्ष
02.	श्री रघुवीर सिंह	उपाध्यक्ष
03.	आरती दीप	सचिव
04.	श्री प्रदीप चौहान	उपसचिव
05.	श्री प्रवेश	कोषाध्यक्ष
06.	श्री अमित कुमार	सदस्य
07.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	सदस्य
08.	श्री मोनू सागवान	सदस्य
09.	श्री ओम प्रकाश	सदस्य
10.	श्री चन्द्रभान	सदस्य
11.	श्री विजेन्द्र	सदस्य

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार प्रबन्ध समिति के दिनांक 11.09.2022 को सम्पन्न हुये चुनाव को 11.09.2022 से 10.09.2027 तक के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

भवदीय,

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

कार्यालय तहसीलदार स्याना जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांक सं0 63/03 /तहसीलदार/भू0अभि0/2020 दिनांक 16.07.2020

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लेखपाल के द्वारा स्थलीय निरीक्षण/आख्या एवं विभागीय अभिलेखानुसार गाटा सं0 681 में स्थित जय हिन्द वैलफेयर के नाम दर्ज भूमि 32 फीट चौड़े मार्ग पर स्थित है एवं उपरोक्त गाटे में कोई नाली/रेलमार्ग/विद्युतिकरण हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

15.07.2020

तहसीलदार
स्याना, बुलन्दशहर।

नकल आदेश दिनांक 28/12/2016

न्यायालय उपजिलाधिकारी स्याना।
वाद सं0-ए/टी2016111717084322 अ0 धारा- 80 उ0प्र0रा0सं0
जयहिन्द एजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी बनाम ग्राम सभा
मौजा- खानपुर गन्दू परगना अहार तहसील स्याना।

निर्णय

प्रार्थी जयहिन्द एजुकेशन सोसाईटी ग्राम नगला आलमपुर द्वारा सचिव विनोद राजपूत पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम नगल आलमपुर द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम खानपुर गन्दू के खाता सं0 283 खेत नम्बर 681/0.2330हे0 ,682/0.5740हे0 व खाता सं0436 गाटा सं0 684म/0.0220हे0, 683म/0.2170हे0, व खाता सं0 683स/0.1830हे0 को आबादी घोषित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन मे ग्राम खानपुर गन्दू की खतौनी वर्ष 1418–1423फ0 खाता सं0 283,436,411,283, व खसरा वर्ष 1423फ0 गाटा सं0 683,684,681,682,की नकल एवं स्थल की फोटोग्राफ दाखिल किये गये है।

वादी के वाद पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त की गयी। राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 20.12.2016 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.12.2016 को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है मे उल्लेख किया गया है कि ग्राम खानपुर के खाता सं0 283 गाटा सं 681रकवा 0.2330हे0 व गाटा सं0 682 रकवा 0.5740हे0 कुल दो किता रकवा0.8070हे0 राजस्व अभिलेखो मे जयहिन्द एजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी ग्राम नगला आलमपुर द्वारा विनोद राजपूत पुत्र रामजीलाल निवासी नगला आलमपुर के नाम सं0भू0 के रूप में है। उक्त गाटों में मौके पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। मौके पर स्कूल के निर्माण का कार्य चल रहा है। उक्त नम्बरों को अकृषिक भूमि घोषित करने पर सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। प्रश्नगत भूमि की मालियत सर्किल रेट के अनुसार 6456000.00 रूपये होती है जिसका एक प्रतिशत रू0 64560.00 होता है। ग्राम खानपुर के गाटा सं0 681 रकवा 0.2330हे0 व गाटा सं0 682 रकवा 0.5740हे0 कुल दो किता रकवा 0.8070हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम खानपुर गन्दू परगना अहार की खतौनी वर्ष 1418–1423फ0 खाता सं0 283, गाटा स0 681 रकवा 0.2330हे0 गाटा सं0 682 रकवा 0.5740हे0 व खाता सं0 436 गाटा सं0 684स/0.0220हे0 व गाटा सं0 683स रकवा 0.2170हे0 व खाता सं0 411 गाटा सं0 683स रकवा 0.1830हे0 पर जयहिन्द एजुकेशन सोसाईटी वेलफेयर ग्राम नगला आलमपुर द्वारा विनोद राजपूत पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम नगला आलमपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। चूंकि खतौनी वर्ष 1418–1423फ0 के खाता सं0 436 व 411 में गाटा सं0 683स व 684स मिनजुमला नम्बर हैं। इस कारण गाटा सं0 683स व 684स को अकृषिक घोषित नहीं किया जा सकता। गाटा सं0 681 रकवा 0.2330हे0 व गाटा सं0 682

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :- सम्बद्धता/6215
दिनांक :- 04.11.2022

में,
सचिव, प्रबन्ध समिति,
कल्याण सिंह कॉलिज ऑफ लॉ,
खानपुर जनपद बुलन्दशहर,
उत्तर प्रदेश।

य,

कृपया आपने पत्र दिनांक 10.10.2022 संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान की प्रबन्ध समिति
नाव दिनांक 11.09.2022 का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.09.2022 को विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक
नुज कुमार, आचार्य, भौतिक विभाग, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की उपस्थिति में महाविद्यालय
प्रबन्ध समिति के चुनाव को चुनाव पर्यवेक्षक की आख्या के आधार पर प्रबन्ध समिति निम्नवत् है:-

क्र.सं.	नाम	पद
01.	श्री विनोद राजपूत	अध्यक्ष
02.	श्री रघुवीर सिंह	उपाध्यक्ष
03.	आरती दीप	सचिव
04.	श्री प्रदीप चौहान	उपसचिव
05.	श्री प्रवेश	कोषाध्यक्ष
06.	श्री अमित कुमार	सदस्य
07.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	सदस्य
08.	श्री मोनू सागवान	सदस्य
09.	श्री ओम प्रकाश	सदस्य
10.	श्री चन्द्रभान	सदस्य
11.	श्री बिजेन्द्र	सदस्य

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार प्रबन्ध समिति के दिनांक 11.09.2022 को सम्पन्न हुये चुनाव को
1.09.2022 से 10.09.2027 तक के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

भवदीय,

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।

6- संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

7- शासनादेश संख्याः-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांकः 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर/सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरेन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।

8- परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु सशर्त अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि सम्बन्धित महाविद्यालय निरीक्षण मण्डल गठन के पूर्व नैक मूल्यांकित होने तथा नैक मूल्यांकन प्रक्रियाधीन होने (एस.एस.आर. जमा होने) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

9- विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते है तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होंगे तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविश्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, Bulandshahr
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्रबन्धक/सचिव, Kalyan Singh College of Law
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

31/01/2024
कुल सचिव

ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

सन्दर्भ संख्या:CHARANUNI/संब/अनापत्ति/ 5309 /2024 दिनांक:31/01/2024

अनापत्ति पत्र-पूर्व संचालित महाविद्यालय

शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या-1963/सत्तर-2-2013-16(165)/2012 टीसी दिनांक: 11.12.2013, शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012 टी०सी०, दिनांक: 14 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या:-23/2016/772/सत्तर-2-2016-16(116)/2015 टी०सी०-II दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक: 31/01/2024 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी JAI HIND EDUCATION WELFARE SOCITY द्वारा प्रस्तावित Kalyan Singh College of Law को UG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	BACHELOR OF LAW(5 YEARS)	LAW

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है

1- पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि : KHANPUR में स्थित गाटा संख्या का विवरण-

sr.	Gata/plot no	Area(SQM)
1	681	2000

पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

2- यह अनापत्ति शासनादेश दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये भूमि सम्बन्धी शपथ पत्र एवं महाविद्यालय को पूर्व निर्गत अनापत्ति के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।।

3- उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०-3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

4- उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।